

पूर्वोत्तर रेलवे



कार्यालय
मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सिगनल कारखाना
गोरखपुर छावनी- 273008

अधिसूचना

अप्रेन्टिस एक्ट-1961 के अन्तर्गत निर्धारित (मान्यता प्राप्त) ट्रेडों हेतु रेलवे बोर्ड के अ0स0प0-ई(एमपीपी) 2013/6/3 भाग दिनांक 10.10.2017 के कम में महाप्रबन्धक कार्मिक के पत्रांक-ई/286/2/2/एए/भाग-II/V दिनांक 25.10.2017 के अनुसार ट्रेड प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षुओं के चयन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ट्रेड प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण नियमानुसार सम्बंधित ट्रेड में पूर्वोत्तर रेलवे सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी, गोरखपुर में होगा।

आवेदन पत्र संलग्न प्रोफार्मा पर सभी प्रमाण-पत्रों के सत्यापित एवं स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी को निम्न पते पर दिनांक 29.11.2017 तक भेज सकते हैं। आयु की गणना आवेदन मांगे जाने की अन्तिम तिथि 29.11.2017 के आधार पर की जायेगी। प्रशिक्षण हेतु अपिजा0/अजा0/अजजा0 एवं सामान्य जाति कुल 161 प्रशिक्षुओं का ट्रेडवार विवरण निम्नवत् है।

1-

क्र० सं०	ट्रेड	सामान्य जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०	अपि०	कुल सं०	प्रशिक्षण अवधि
1	फीटर	39	11	06	21	77	1 वर्ष
2	मशीनिष्ठ	08	02	01	04	15	1 वर्ष
3	वैल्डर (गैस & इलेक्ट्रिक)	10	03	02	05	20	1 वर्ष
4	कारपेन्टर	04	01	01	02	08	1 वर्ष
5	टर्नर	21	06	03	11	41	1 वर्ष
कुल योग		82	23	13	43	161	

- शैक्षणिक अर्हता - आई0टी0आई0 (एन.सी.वी.टी.)+मैट्रिकुलेशन (न्यूनतम कुल 50 प्रतिशत) अधिसूचना जारी होने की तिथि को होना चाहिए।
- आयु- अधिसूचना में अंकित आवेदन देने की अन्तिम तिथि 29.11.2017 को 15 से 24 वर्ष के बीच न्यूनतम 15 तथा अधिकतम उम्र 24 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु में अजा0/अजजा0/अपिजा0 के अभ्यर्थियों को आयु में कमशः 05/05/03 वर्ष की छूट देय होगी।
- आवेदन पत्र के साथ प्रोसेसिंग फीस के रूप में 100/- का पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/विसमुलेधि/पू0उ०रे०/गोरखपुर के नाम संलग्न होना चाहिए। अजा0/अजजा0/शारीरिक रूप से विकलांग/महिला उम्मीदवारों को किसी प्रकार की प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान उन्हें एक्ट के प्रावधान के अनुसार मासिक वृत्तिका देय होगी।

शेष पृष्ठ 02 पर

- 6- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एमपीपी)/2002/6/10 दिनांक 31.07.2006 के अनुसार भूतपूर्व सैनिक/सेना के जवानों के बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीट आरक्षित होंगे । इसके अतिरिक्त 3 प्रतिशत सीट विकलांग कोटे के लिए आरक्षित होंगे ।
- 7- प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थी की आयु यदि 18 वर्ष से कम हो तो उसके अभिभावक संविदा समझौता करेंगे। घोषणा का प्रारूप संलग्न है ।
- 8- (क). प्रशिक्षणार्थी अप्रेंटिस एक्ट-1961 नियम के अन्तर्गत जो भी शर्त होगी मानने के लिए बाध्य होगा तथा इस नियम के अन्तर्गत दिये गये शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा तथा उन्हें प्रशिक्षण पर व्यय किये गये धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षणार्थी का आचरण उत्तम नहीं पाया जायेगा तो भी उसे प्रशिक्षण से वंचित कर दिया जायेगा तथा उसे प्रशिक्षण का व्यय वहन करना पड़ेगा। इस बारे में रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।
- (ख). प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थी को रेलवे में नौकरी देने की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की नहीं होगी।
- 9- (क). आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि या कमी रहेगी तो उसे रद्द कर दिया जायेगा और रद्द किये गये आवेदन-पत्र की सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।
- (ख). किसी भी अभ्यर्थी का चयन रेल प्रशासन किसी भी समय रद्द कर सकते हैं और इस सम्बंध में कोई पत्राचार/साक्षात्कार मान्य नहीं होगा। रेल प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा।
- 10- चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा जिसमें पेपर स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन ठीक पाया जायेगा उनमें से आई0टी0आई0+मैट्रिकुलेशन (न्यूनतम 50 प्रतिशत) की परीक्षा में प्राप्त अंको के औसत के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर वांछित संख्या के 1.5 गुना अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच के लिए बुलावा पत्र जारी होगा। जिसमें तिथि भी अंकित होगी। जिसकी सूचना डाक द्वारा भेजी जाएगी। डाक द्वारा भेजी गयी सूचना नहीं मिलने पर रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। (अभ्यर्थी को अपने सभी मूल प्रमाण-पत्र साथ लाना होगा, अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पुनः कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को अपना व्यय स्वयं करना होगा, इसके लिए रेलवे कोई धन नहीं देगी)।
- 11- आई0टी0आई0+मैट्रिकुलेशन में (50 प्रतिशत) की परीक्षा में प्राप्त अंको के औसत के अनुसार तैयार मेरिट के आधार पर पेपर स्क्रीनिंग हेतु साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची कारखाना गेट पर साक्षात्कार तिथि से पूर्व लगेगी तथा क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होगी/पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट <http://www.ner.indianrailways.gov.in> पर भी उपलब्ध होगी।
- 12- यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन के लिए किसी प्रकार की पैरवी स्वयं अथवा किसी अन्य माध्यम से करायेगा तो उसकी पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

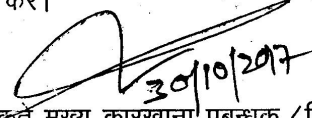
- 13- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, गोरखपुर इस अधिसूचना के अनुसार प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र नियमानुसार इस कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 29.11.2017 तक ट्रेड के अनुसार समुचित संख्या में भेजने की व्यवस्था करें। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। इसलिए सभी आवेदन-पत्रों को सूचीबद्ध करके निर्धारित तिथि के पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।
- 14- रेलवे में कार्यरत कर्मचारी अपने आश्रित पुत्र/पुत्री का आवेदन-पत्र एवं अपना घोषणा पत्र इस कार्यालय को सीधे भेज सकते हैं परन्तु चयन में किसी प्रकार की प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। घोषणा-पत्र जहाँ रेलवे कर्मचारी कार्यरत हैं वहाँ के सम्बंधित विभागीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए अन्यथा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जायेगा। आवेदन-पत्र को घोषणा-पत्र के साथ लिफाफा में बन्द करके मुख्य कारखाना प्रबन्धक/सिगनल कारखाना/गोरखपुर छावनी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के पते पर भेजना होगा लिफाफे पर "आवेदक का नाम, ट्रेड एवं एक्ट अप्रेंटिस प्रशिक्षु चयन हेतु आवेदन" अवश्य लिखा होना चाहिए।
- 15- इसके अतिरिक्त आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा के लिए एक मुहरबन्द बाक्स मुख्य कारखाना प्रबन्धक/सिगनल कारखाना/गोरखपुर छावनी कार्यालय के गेट पर रख दिया जायेगा जिसमें निर्धारित तिथि से पूर्व सुबह 09.30 बजे से 16.30 बजे तक लिफाफा डाला जा सकता है।

संलग्न- आवेदन पत्र का प्रारूप एवं
घोषणा पत्र का प्रारूप।

कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक/सिग0कार0
गो0छा0/गोरखपुर

संख्या- ई/538/सि0कार0/गो0छा0/एक्ट अप्रेंटिस/भाग-। दिनांक 30.10.2017
प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महाप्रबंधक/कार्मिक/पू0उ0रे0/गोरखपुर।
- 2- सभी विभागाध्यक्ष/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
- 3- मण्डल रेल प्रबंधक/लखनऊ, वाराणसी, इज्जतनगर।
- 4- मुख्य कारखाना प्रबंधक/पू0उ0रे0/इज्जतनगर।
- 5- मुख्य कारखाना प्रबंधक/यॉंत्रिक/सिगनल एवं पुल कारखाना/गोरखपुर छावनी।
- 6- मण्डल मंत्री/नरमू, अ0जा0 एवं अ0ज0जा0/सिग0 कारखाना/गोरखपुर।
- 7- मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/गोरखपुर कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशन की व्यवस्था करें।
- 8- रीजनल डायरेक्टर अप्रेंटिस ट्रेनिंग/उद्योग नगर/कानपुर।
- 9- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी/गोरखपुर। आपसे अनुरोध है कि समुचित संख्या में पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि से पूर्व भेजना सुनिश्चित करें।
- 10- सूचना पट्ट/सिग0 कारखाना/गो0छा0/गोरखपुर।


कृते मुख्य कारखाना प्रबन्धक/सिग0कार0
गो0छा0/गोरखपुर

आवेदन-पत्र

सेवा में,

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/सिगनल कारखाना
गोरखपुर छावनी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर । 273008

स्वहस्ताक्षरित
फोटो

विषय :- प्रशिक्षु प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन पत्र।

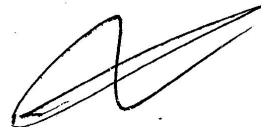
सन्दर्भ:- ई/538/सि0का0/गो0छा0/एक्ट प्रेन्टिस/भाग-। दि0 30.10.2017

उपर्युक्त अधिसूचना के सन्दर्भ में प्रार्थी ट्रेड प्रशिक्षु प्रशिक्षण पद के लिए आवेदन करता है तथा यह भी घोषित करता है कि मुझ पर अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं समय-समय पर परिवर्तित सभी नियम लागू होंगे।

(आवेदक द्वारा स्वयं भरा जाना है)

- 1- आवेदन का नाम
- 2- पिता का नाम
- 3- स्थाई निवास- स्थाई पता- ग्राम/मुहल्ला डाकघर
थाना जनपद प्रदेश
दूरभाष संख्या
- 4- पत्र व्यवहार का पूरा पता- ग्राम/मुहल्ला डाकघर
थाना जनपद प्रदेश
दूरभाष संख्या
- 5- राष्ट्रीयता:- जाति धर्म
- 6- क्या अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी है अथवा नहीं (यदि हो तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण संलग्न करें)
- 7- जन्मतिथि
(प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं स्वहस्ताक्षरित संलग्न करें)
- 8- अभ्यर्थी की दि0 29.11.2017 को आयु वर्ष माह दिन
- 9- विवाहित/अविवाहित । क्या एक से अधिक जीवित पत्नी है।

शेष पृष्ठ 02 पर



10- शैक्षिक/तकनीकी योग्यता

परीक्षा	वर्ष	विद्यालय का नाम	विषय	प्रतिशत अंक	पास करने का माध्यम जिला शिक्षा परिषद या अन्य

उपरोक्त शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए विद्यालय द्वारा जारी प्राप्तांक तालिका एवं प्रमाण पत्र की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

11- अन्य योग्यताएं :-

12- दो स्थाई शारीरिक चिन्ह :

I-
II-

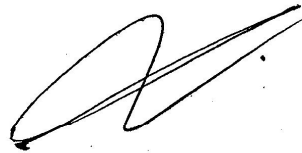
13- दो चरित्र प्रमाण-पत्र राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

14- यदि आवेदक के पिता रेल कर्मचारी है तो संलग्न प्रमाणपत्र विभागीय राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करा कर जमा करें।

संलग्नक:-

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक :-



पूर्वोत्तर रेलवे

पूर्वोत्तर रेलवे, सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी, गोरखपुर में ट्रेड प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए पुत्र/पुत्री के चयन हेतु कार्यरत कर्मचारी का घोषणा-पत्र ।

कर्मचारी का नाम टि०सं०- पद
..... वेतनमान वर्तमान वेतन विभाग
..... शाखा नियुक्ति तिथि पुत्र/पुत्री का नाम
(जिसका आवेदन पत्र संलग्न किया) अन्य पुत्र/पुत्रियों का नाम
जो रेलवे में सेवारत है :-

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री श्री/कु०
जिसका आवेदन पत्र संलग्न है ने अपने आवेदन पत्र में विवरण दिया है, वह सत्य है । यह मेरे ऊपर
आश्रित है । यदि इसमें कोई बात असत्य पाई जाती है तो मैं इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँगा ।

पूरा हस्ताक्षर

दिनांक:-

(नाम-)

विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आवेदनकर्ता
टि०सं०- पद कार्यालय/शाप/स्थान
..... दिनांक से नियमित रूप से कार्यरत है ।

विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:-

पद:-

